हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

पोस्ट बॉक्स नं.- 21, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176 215

PO Box: 21, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH – 176215

Phone No. 01892-237285-89; Fax No. 01892-237286; E-mail : pvc.cuhimachal@gmail.com

संदर्भ : PVC/2-2/CUHP/2013-24 दिनांक : 17 जून, 2016

सूचना

विषय : हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलगीत के लिए आमंत्रण ।

1. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सभी सुधीजनों से विश्वविद्यालय के लिए **संस्कृत में स्वरचित कुलगीत** आमंत्रित किया जाता है।
2. कुलगीत के विषय में निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखा जाए :

कुलगीत की भाषा	:	**संस्कृत** जिसमें सरल, सुबोध, कर्णप्रिय एवं चित्ताकर्षक शब्दों का प्रयोग हो
आकार	:	संक्षिप्त (12 से 16 लाईन)
स्वरूप	:	कुलगीत गेयता की दृष्टि से परिपूर्ण हो, छंद विधान के न्यूनतम मानकों को पूरा करता हो और जिसे संगीतबद्ध किया जाना कठिन न हो
विशिष्टता	:	कुलगीत इस नवस्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उद्देश्य / विशेषताएं **(अनुलग्नक । पर संलग्न)** की शैक्षिक / सांस्कृतिक गरिमा को मर्यादित करें और उच्चता प्रदान करे

3. कृपया अपने स्वरचित कुलगीत की टंकित प्रति / स्वच्छ हस्तलिखित प्रति को **ई-मेल (pvc.cuhimachal@gmail.com)** के माध्यम से / प्रति-कुलपति कार्यालय, अस्थायी शैक्षणिक खंड (टैब), हि.प्र.के.वि., शाहपुर अथवा कैंप कार्यालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला में **अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2016** तक जमा कराएं ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा चयनित कुलगीत के लिए रचयिता को यथोचित मान-सम्मान एवं मानदेय पर भी विचार किया जाएगा ।

[प्रो. (डॉ.) योगिंद्र सिंह वर्मा]
प्रति-कुलपति

संलग्नक: यथोपरि

प्रति : कृपया सूचनार्थ / आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु –

1. कुलगीत समिति के सभी सदस्य, हि.प्र.के.वि., टैब, शाहपुर ।
2. सभी स्कूलों / विभागों के अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष हि.प्र.के.वि., टैब, शाहपुर ।
3. विश्वविद्यालय के शेष अन्य सभी शैक्षणिक / शिक्षकेतर कर्मी, हि.प्र.के.वि. ।
4. कुलसचिव, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला ।
5. वित्त अधिकारी (प्रभारी), हि.प्र.के.वि., टैब, शाहपुर ।
6. सिस्टम एनालिस्ट / वेबसाइट प्रशासक, हि.प्र.के.वि., टैब, शाहपुर ।
7. माननीय कुलपति के निजी सचिव – कृपया मानीय कुलपति के सूचनार्थ ।
8. सूचनापट्ट – टैब कार्यालय, शाहपुर / कैंप कार्यालय, धर्मशाला ।

प्रति-कुलपति

विश्वविद्यालय के उद्देश्य :

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- ऐसी अधिगम शाखाओं में, जिनको यह उचित समझे, शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान कर ज्ञान का प्रसार एवं विकास करना ।
- अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, समाज विज्ञानों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समाकलित पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना ।
- अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया एवं अन्तर-विषयक अध्ययनों और अनुसंधान में नवान्वेषण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय करना ।
- देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना;
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ लिंकेज स्थापित करना;
- लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार और उनका कल्याण, उनके बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना ।

विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं :

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में विश्वविद्यालय की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं :

- विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग एवं व्यक्तियों एवं सभी जाति, मत, प्रजाति या वर्ग के लिए उपलब्ध होगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश या वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग में किसी व्यक्ति की हकदारी में उस पर किसी धार्मिक विश्वास या वृत्ति के आधार पर कोई परीक्षा अंगीकृत अथवा आरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिसम्मत नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, परंतु साथ ही कोई भी ऐसा विशेष प्रावधान, निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा;
- विश्वविद्यालय का प्रयास अखिल भारतीय स्वरूप तथा शिक्षण एवं अनुसंधान के उच्च मानकों को बनाए रखना होगा तथा विश्वविद्यालय अन्य उपायों, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, के साथ-साथ विशेषकर निम्नलिखित उपाय करेगा :
  - छात्रों का प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर केवल मेरिट के आधार पर, जिसका निर्धारण या तो विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं या अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाएगा या ऐसे पाठ्यक्रमों जहाँ छात्रों के प्रवेश की संख्या कम है, अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा ;
  - संकाय (फैकल्टी) सदस्यों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी तथा पोर्टेबल पेंशन एवं वरिष्ठता संरक्षण के साथ संकाय सदस्यों के अंतर-विश्वविद्यालय गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा ;
  - सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन एवं चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू की जाएगी तथा विश्वविद्यालय क्रेडिट हस्तांतरण एवं संयुक्त डिग्री कार्यक्रमां के लिए अन्य विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ करार करेगा ;
  - नवाचारी पाठ्यक्रम एवं अध्ययन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिनमें आवधिक समीक्षा एवं पुनर्संरचना का प्रावधान होगा ;
  - विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलापों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी तथा अध्यापकों का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा ;
  - राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद या राष्ट्रीय स्तर की किसी अन्य प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा ;
  - प्रभावकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित ई-गवर्नेंश शुरू किया जाएगा।

*****